न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 88 / 2018

जीसीएमएस **संख्या**: 2018 / 00103

राजवती पत्नी श्री शिवसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बोथपुरा तहसील मनि
जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र मेघसिंह
2. देवेन्द्र सिंह बाबूसिंह
3. भगवानदेवी पत्नी ख्यालीराम
   समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपु
4. ममता पत्नी राजू जाति गूर्जर निवासी मोहल्ला फूलपुर रोड़ मनियां तह
   जिला धौलपुर
5. गंगादेवी पत्नी माताप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम उम्मेदीनगर धौलपुर तह
   जिला धौलपुर
   ....असल प्रतिवादी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर
   ....तरतीवी प्र

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 07.07.2025

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 12.10.2018 को एक राजस्व वाद बावत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दि 31.01.2025 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से वि प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 647 दिनांक 04.07.2025 विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हु विभाजन प्रस्तावों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभा प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री कि जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार मनियां से प्रा विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभा प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 741, 742, 748 ग्राम बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक काश्तकार घोषित किया जाता है:–

	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1.	कल्याणसिंह पुत्र मेघसिंह हि 1 / 2 किशुना पत्नी कल्याणसिंह हि 1 / 2 सा0 देह खातेदार	748 / 1	0.3889

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

2.	राजवती पत्नी शिवसिंह जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार	748/2	0.5185
3.	ममता पत्नी राजू जाति गुर्जर सा0 मनियां खातेदार	748/3	0.2486
4.	गंगादेवी पत्नी माताप्रसाद जाति ब्राम्मण सा0 उम्मेदीनगर धौलपुर खातेदार	748/4	0.1464
		742/1	0.02[illegible]
5.	भगवानदेवी पत्नी ख्यालीराम जाति ठाकुर सा0देह खातेदार	742/2	0.1634
		741/1	0.0958
6.	भूरीदेवी पत्नी भूरा जाति गुर्जर सा0 दयेरी खातेदार	741/2	0.0970
7.	राजाबेटी पत्नी मोहरसिंह जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार	741/3	0.2592
8.	देवेन्द्र पुत्र बाबूसिंह जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार	741/4	0.1297

कुल किता 10 रकवा 2.0740 हैक्टेयर बाकै ग्राम बोथपुरा तहसील मनियां व जिला धौलपुर कुल लगान 8.20 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 8 रूपये 20 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 16 रूपये 40 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर
धौलपुर (राज0)

प्रारम्भिंक डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर
व इजलास : डॉ. साधना शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 88 / 2018

1. राजवती पत्नी श्री शिवसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बोथपुरा तहसील व जिला धौलपुर ....वादीया

बनाम

1. कल्याणसिंह पुत्र मेघसिंह । समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम बोथपुरा
2. देवेन्द्रसिंह पुत्र बाबूसिंह । तहसील व जिला धौलपुर
3. भगवानदेवी पत्नी ख्यालीराम।
4. ममता पत्नी राजू जाति गूर्जर निवासी मोहल्ला फूलपुर रोड़ मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
5. गंगादेवी पत्नी माताप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी उम्मेदीनगर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ....असल प्रतिवादीगण
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर बहैसियत लैण्ड होल्डर ....तरतीवी प्रतिवादी

(वाद अधीन धारा 53,88, 188 आरटीए)

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ डॉ. साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी मिनजानिव मुद्दई श्री **योगेश शर्मा एडवोकेट** मिनजानिव मुद्दयालह श्री श्रीकांत श्रीवास्तव एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीया प्रारम्भिक डिकी किया जाकर तहसीलदार मनियां को आदेश दिये जाते है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 741, 742, 748 बाकै ग्राम बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में उनके कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 31.01.2025 को जारी की गई।

(डॉ. साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर(मु0)
धौलपुर